

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :- 21/2017

दायर तारीख : 20-02-2017

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर
बनाम — प्रार्थी

1. गोपी पुत्र सूजा वगैरह जाति गुर्जर निवासी गुढाबैजनाथपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
2. ब्रदी पुत्र चन्द्रा वगैरह जाति मीणा निवासी गुढाबैजनाथपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
3. मेवाराम पुत्र भगवान सहाय वगैरह जाति गुर्जर निवासी पलसाना तहसील थानागाजी जिला अलवर हाल निवासी गुढाबैजनाथपुरा तहसील विराटनगर।
4. झूथाराम पुत्र सूजा जाति गुर्जर निवासी गुढाबैजनाथपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
5. राहुल गुप्ता पुत्र सुरेश गुप्ता जाति महाजन वगैरह निवासी प्लेट नंबर 202 अक्षत कैलाश डी 130 बसन्त मार्ग बनीपार्क जयपुर।
6. लछमा देवी पत्नि भैरूराम जाति मीणा निवासी अचरोल तहसील आमेर जिला जयपुर हाल निवासी गुढाबैजनाथपुरा तहसील विराटनगर।

— अप्रार्थीगण

उपस्थित : — पैराकार सरकार, प्रार्थी
एकपक्षीय कार्यवाही अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक :- 28-01-2021

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर ने ग्राम गुढाबैजनाथपुरा पटवार मण्डल तालवा बिहाजर में स्थित खसरा नंबर 257/0.22, 258/0.05, 249/0.02, 251/0.09, 252/0.01, 267/0.13, 271/0.24, 281/2.46, 283/1.50, 261/0.35, 173/0.64, 310/1.95, 367/0.07, 309/0.79, 303/2.14 हैक्टेयर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2072-2075 है। एवं खसरा नंबर 279/2.10, 296/0.77, 366/0.49 हैक्टेयर राजकीय सिवायचक खाता सरकार दर्ज है। आराजी मुतनाजा 257/0.22 में से 0.06, 258/0.05 में से 0.03, 249/0.02 में से 0.02, 251/0.09 में से 0.05, 252/0.01 में से 0.01, 267/0.13 में से 0.03, 271/0.24 में से 0.08, 281/2.46 में से 0.08, 283/1.50 में से 0.07, 261/0.35 में से 0.16, 173/0.64 में से 0.04, 310/1.95 में से 0.09, 367/0.07 में से 0.03, 309/0.79 में से 0.09, 303/2.14 में से 0.02, 279/2.10 में से 0.12, 296/0.77 में से 0.09,

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

366/0.49 में से 0.03 हैक्टेयर के संबंध में राजस्व विभाग (राजस्व/ग्रुप-6) राजस्थान सरकार के परिपत्र : प. 3 (2) राज-6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 भू-राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया है कि उक्त खसरा नम्बर नक्शा में दर्शित अनुसार गुढा बैजनाथपुरा से ग्राम टोडालडी तक आमरास्ते के रूप में उपयोग आ रहा है। अतः उक्त रास्ते को राज्य सरकार राजस्व विभाग (राजस्व ग्रुप-6) राजस्थान जयपुर के परिपत्र : प 3 (2) राज-6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड आम रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावें।



2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। संबंधित खातेदारान की तलबी की गई। अप्रार्थीगण सम्यक तामिल अनुपस्थित रहे। बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।
3. तहसीलदार विराटनगर ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू.अभिलेख निरीक्षक, मौका फर्द, नक्शा ट्रेस, दैनिक डायरी, नकल जमाबन्दी ग्राम सताना संवत् 2072-2075, नकल खिसरा गिरदावरी ग्राम गुढा बैजनाथपुरा संवत् 2072 आदि पेश किये।
4. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी रिकार्ड एवं तथ्यों से यह साबित है कि ग्राम गुढाबैजनाथपुरा के खसरा नंबर 257/0.22 में से 0.06, 258/0.05 में से 0.03, 249/0.02 में से 0.02, 251/0.09 में से 0.05, 252/0.01 में से 0.01, 267/0.13 में से 0.03, 271/0.24 में से 0.08, 281/2.46 में से 0.08, 283/1.50 में से 0.07, 261/0.35 में से 0.16, 173/0.64 में से 0.04, 310/1.95 में से 0.09, 367/0.07 में से 0.03, 309/0.79 में से 0.09, 303/2.14 में से 0.02, 279/2.10 में से 0.12, 296/0.77 में से 0.09, 366/0.49 में से 0.03 हैक्टेयर भूमि सडक/आम रास्ता के रूप में काम आ रही है। तथा निजी खातेदारी में अप्रार्थीगण द्वारा भी ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि मौके पर सडक/आम रास्ता बना हुआ नहीं है। यह है कि तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में खसरा नंबर 366/0.49 हैक्टेयर की किस्म गैर मुमकिन नला है। जो कि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। प्रार्थना के संबंध में तहसीलदार विराटनगर को आदेशित किया जाता है कि राजस्थान सरकार के परिपत्र : प. 3 (2) राज-6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसरण में ही प्रस्ताव तैयार कर भिजवाएं। अतः तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

आदेश

प्रार्थी, राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार विराटनगर का हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में ग्राम गुढा बैजनाथपुरा पटवार मण्डल तालवा बिहाजर में स्थित खसरा नंबर 366/0.49 हैक्टेयर की किस्म गैर मुमकिन नला को दृष्टिगत रखते हुए पुनः नियम अनुरूप एवं विधि संगत प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 28.01.2021 को सुनाया गया।



(राजवीर सिंह यादव, R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)
विराटनगर